न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 100/2017 दायरा दिनांक : 24.07.2017

उनवान

1– श्रीमती देवास बाई पत्नी श्री तोफान सिंह, जाति राजपूत, निवासी जाजनी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2– श्रीमती राधा बाई पत्नी श्री कृपाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी जाजनी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– भगवत बाई पुत्री श्री रघुनाथ सिंह, आयु 38 वर्ष पत्नी श्री उमराव सिंह, जाति राजपूत, हाल निवासी बनी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2– सज्जन बाई पुत्री रघुनाथ सिंह, आयु 44 वर्ष, पत्नी श्री उमराव सिंह, जाति राजपूत हाल निवासी कन्नाली, तहसील आगर मध्यप्रदेश

3– काली बाई पुत्री रघुनाथ सिंह, आयु 40 वर्ष पत्नी श्री सरतान सिंह, जाति राजपूत, निवासी पालखण्डा, तहसील गरोठ मध्यप्रदेश

4– भूला बाई पुत्री रघुनाथ सिंह, आयु 36 वर्ष पत्नी श्री उमराव सिंह, जाति राजपूत, निवासी खोखरिया खुर्द, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

5– दरियाब बाई पुत्री रघुनाथ सिंह, आयु 34 वर्ष पत्नी श्री नारायण सिंह, जाति राजपूत हाल निवासी गोविन्दपुरा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

6– सोपत बाई पत्नी श्री रघुनाथ सिंह आयु 62 वर्ष, जाति राजपूत हाल निवासी जाजनी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री अशोक कुमार गुर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय दिनांक : 26.11.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या –29/दावा/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 08.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं फाईनल डिक्री विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर आदेश एवं फाईनल डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । वक्त पेपर पार्टीशन विवादित आराजी कुल 12 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम जाजनी में अपील एक मात्र रेकार्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार थे जो जमाबंदी सम्पत 2070–73 से साबित है परन्तु वक्त पेपर पार्टीशन पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के खातेदार होने के तथ्य को उजागर नहीं किया जो अवैधानिक है । विवादित आराजी अपीलांट ने दिनांक 19.01.2010 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खातेदार रघुनाथ सिंह से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है । विक्रय पत्र का पंजीयन उपपंजीयक पचपहाड के कार्यालय में कराया गया इसके आधार पर विवादित आराजी अपीलांट के खाते दर्ज की गई ऐसी स्थिति में अपीलांट विवादित आराजी के मामले में आवश्यक पक्षकार थे फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट 3 लगायत 7 के पक्ष में फाईनल डिक्री पारित की जो अवैधानिक है । खातेदार रघुनाथ सिंह विक्रेता की मृत्यु हो चुकी है । रेस्पोंडेट नम्बर 1 लगायत 7 उसके कायम मुकामान है । फाईनल डिक्री बंटवारे के नियमों के सर्वथा विपरीत है । वर्तमान में भी राजस्व रेकार्ड में अपीलांट का नाम बतौर खातेदार दर्ज होने से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं फाईनल डिक्री से अपीलांट के हित प्रभावित होते हैं इसलिए अपीलांट प्रभावित पक्षकार की हैसियत से अपील पेश कर रहा है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं फाईनल डिक्री दिनांक 08.05.2017 निरस्त की जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रघुनाथ की लड़कियां रेस्पोडेंट है । प्रकरण न्यायालय हाजा के

(महेन्द्र सोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय दिनांक 07.02.2017 को प्रतिप्रेषित किया गया जो उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में दिनांक 10.04.2017 को दर्ज किया गया जिसमें आगामी पेश दिनांक 09.05.2017 को नियत की गई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा के दिशा निर्देशों की पालना नहीं की गई । अतः अपील पुनः प्रतिप्रेषित की जावे । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2006–07 (सप्लीमेन्ट्री) पेज 50 पेश की गई ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि रेस्पोडेंट नम्बर 2 लगायत 6 ने अधीनस्थ न्यायालय भवानीमण्डी के यहां वाद पेश किया जो दिनांक 11.08.2008 को निर्णित हो गया । प्राथमिक डिक्री में 1/7 हिस्सा सबके हिस्से में कर दिया । फाईनल डिक्री दिनांक 08.05.2017 को हुई । न तो वादी और न प्रतिवादी ने कोई अपील नहीं की । देवास बाई व राधाबाई अपीलांट बनकर अपील पेश की है वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति थी । रेस्पोडेंट कम 6 की देवास बाई व राधाबाई बहुए हैं । रघुनाथ सिंह मृतक का विक्रय मान्य नहीं होगा क्योंकि रेस्पोडेंट कम 2 लगायत 5 के नाम 1/7 हिस्सा आ चुकी थी । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सही है इनकी अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 10–04–17 में भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 07–02–2017 का उल्लेख किया गया है जिसमें आराजी का विक्रय हो जाने की स्थिति में क्रेता के अधिकार विक्रेता के अधिकारों की सीमा तक ही रहेंगे। शेष आराजी प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार अन्य खातेदारान में प्राप्त होंगे। प्रकरण में वादी की उपस्थिति व प्रतिवादी की अनुपस्थिति दर्शाई गई तथा पत्रावली दिनांक 09–05–17 को पेश होना दर्शाया गया है लेकिन पत्रावली दिनांक 09–05–17 के स्थान पर 08–05–17 को राजस्व लोक अदालत कैम्प गुराडिया कलां में पेश होना व बंटवारा प्रस्ताव अनुसार फाइनल डिक्री का आदेश किया जाना उल्लेख है। यह स्पष्ट है कि जब अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली दिनांक 09–05–2017 मुकर्रर की थी तो दिनांक 08–05–17 को पत्रावली बिना पक्षकारों को सूचित किये राजस्व लोक अदालत कैम्प में रख लिया जो न्याय की श्रेणी में नहीं आता, साथ ही न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 07–02–17 की पालना भी नहीं की गई है। अतः फाइनल डिक्री को निरस्त किया जाकर अपीलांट को सुनवाई का

(महेश लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अवसर देकर न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 07–02–17 की पालना करते हुए नये सिरे से फाईनल डिक्री जारी करे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.05.2017 अपास्त किया जाता हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवायी एवं साक्ष्य पेश करने का का समुचित अवसर प्रदान करे एवं न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 07–02–17 की पालना कर प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.02.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा